

संख्या-I/1281917/2026

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ: 27-03-2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त की मांग के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-IT/128/आकांक्षी नगर योजना, दिनांक 23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत नगरीय निकायों हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 06.08.2025 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार योजना से आच्छादित निकायों को अनुमोदित कार्ययोजना/डी०पी०आर० के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि निर्गत करने के क्रम में कुल 06 नगर निकायों द्वारा द्वितीय किश्त हेतु प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-1/1049830/2025 दिनांक 06.08.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में कुल प्रावधानित धनराशि रू० 100.00 करोड़ के सापेक्ष निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा किये गए अनुरोध के क्रम में रू० 110.8315 करोड़ (रूपये एक सौ दस करोड़ तेरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू० 55.4181 करोड़ (रूपये पचपन करोड़ इकतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) अवमुक्त की गयी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में प्रावधानित कुल धनराशि रू० 100.00 करोड़ (रूपये सौ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में उल्लिखित 06 निकायों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 8 में उल्लिखित धनराशि कुल रू० 360.762 लाख (रु. तीन करोड़ साठ लाख छिहत्तर हजार दो सौ मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जिला	नगर पचायत	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत (लाख में) जीएसटी+A&OI +I.E.C सहित	अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि (लाख में)	कार्य के सापेक्ष निविदा (लाख में)	कार्य के सापेक्ष कुल व्यय (लाख में)	कार्य के सापेक्ष द्वितीय किश्त हेतु मांग की धनराशि (लाख में) जीएसटी +A&OI +I.E.C सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-6)	10
1	बस्ती	भानपुर	खैरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। नगर पचायत भानपुर में पटरी व्यवसायों को	74.69	37.34	74.592	34.73	37.252	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के

			सुव्यवस्थित किये जाने हेतु हाट बाजार का विकास कार्य। नगर पंचायत भानपुर बस्ती के विभिन्न चौराहों सार्वजनिक स्थानों प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य।						अनुरूप घटाते हुए रु0 37.252 लाख द्वितीय किशत में देय है।
2	देवरिया	तरकुलवा	वाडे न0-09 में हरिजन बस्ती से अत्योष्टि स्थल रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। वाडे न0-5/12 में बन्दर गेट से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु पोल स्थापित कर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य। वाडे न0-01 में शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज के उत्तर तरफ वेडिंग जोने का निर्माण कार्य। वाडे न0-12 में मेन रोड देवरिया कसया मार्ग पर नगर पंचायत के भूमि पर स्थाई वेडिंग जोन का निर्माण कार्य। वाडे न0-01 में बजरिया रोड से दक्षिण टाईबाबू के आरा मिल तक वेडिंग जोन का निर्माण कार्य।	94.50	47.25	94.36	38.2	47.11	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय सूचीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रु0 47.11 लाख द्वितीय किशत में देय है।
3	सुलतानपुर	लम्भुआ	नगर पंचायत लम्भुआ के शिवनगर में इण्टरलांकिंग रोड से आंगनबाड़ी केन्द्र तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य नगर पंचायत लम्भुआ के राणानगर में शैलू बाबा के घर से हरिहर तिवारी के	184.42	92.21	184.3	80.12	92.09	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय सूचीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रु0 92.09 लाख द्वितीय

			<p>घर तक कवर्ड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य</p> <p>नगर पचायत लम्पुआ में आंगनबाड़ी व स्कूल मार्ग व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्ग पर 50 अदद 07 मीटर पोल लाइट के अधिष्ठापन का कार्य</p> <p>नगर पचायत लम्पुआ में वेडिंग जोन का निर्माण कार्य</p> <p>वार्ड सवाँदयनगर में स्थित तालाब का सौंदर्यकरण कार्य</p> <p>नगर पचायत लम्पुआ तुलसीनगर में डामर रोड से गौशाला तक बिटुमिन रोड कार्य</p> <p>नगर पचायत लम्पुआ तुलसीनगर में हाइवे से एम० आर०एफ० मोड तक बिटमिन रोड कार्य</p>						किशत में देय है।
4	कुशीनगर	मथौली	<p>वार्ड न0-16 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में अमोला पट्टी विद्यालय तक पहुंच के लिए सी०सी० रोड निर्माण कार्य।</p> <p>वार्ड न0-05 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में प्राथमिक विद्यालय से सामुदायिक शौचालय तक कवर्ड ड्रेनेज निर्माण कार्य</p> <p>नगर पचायत मथौली के वार्ड न0-16 प्राथमिक विद्यालय अमोला पट्टी तक पहुंच को सुगम और</p>	74.68	37.34	74.64	33.34	37.30	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू० 37.30 लाख द्वितीय किशत में देय है।

			सुरक्षित बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट अवस्थापना कार्य।						
			वाडे न0-06 महाराणा प्रताप नगर में सिंघासनी माता मंदिर परिसर में अर्बन हार्ट या वेडिंग जोन निर्माण कार्य						
5	बुलन्दशहर	सूयाना	बुलन्दशहर रोड पर बाल्मीकि शमशान घाट के सामने रोड साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा नाली का निर्माण कार्य। बुगरासी रोड पर स्थित डम्पिंग ग्राउण्ड से मैन रोड तक खरंजा निर्माण कार्य। ग्राम करौठी में स्थित एम0आर0एफ0 सेंटर को जाने वाला रास्ते पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य। Supply of 45 W LED Street Light (200 No) टाउन स्कूल के पास और उस तक पहुंचने वाली सभी रास्तों पर। Supply of 45 W LED Street Light (200 No) विवेकानन्द स्कूल तक पहुंचने वाली सभी रास्तों पर। बुलन्दशहर रोड पर बाल्मीकि शमशान घाट के सामने आर0 सी0सी0 कवर्ड नाले का निर्माण कार्य। वाडे संख्या 12 में मॉडल वेडिंग जोन हेतु मॉडर्न फूड	132.69	66.34	133.7	66.34	66.35	निविदा को धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू0 66.35 लाख द्वितीय किशत में देय है।

			<p>काट फूटस एण्ड वेजीटेबल्स कार्ट एवं गुडस एण्ड आर्टिकल्स कार्ट पान शॉप, बाबूजी कल्याण सिंह पार्क के सामने।</p> <p>नगर पालिका परिषद स्थाना के मुख्य जंक्शन, संवेदनशील स्थलों, डार्क स्पोर्ट्स आदि पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापन कार्य।</p>						
6	बालिया	रतसरकला	<p>वाड न0-05 मे नहर चौराहे से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।</p> <p>वाड न0-05 मे गड़वार मेन रोड से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।</p> <p>वाड न0-05 मे मेन रोड से पशु चिकित्सा केन्द्र तक एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।</p> <p>वाड न0-14 मे रतसर पचखोरा मार्ग के पास अर्वन हार्ट एवं वेडिंग जोन बनाने का कार्य।</p> <p>वाड न0-03 मे अन्त्येष्टि स्थल पर पहुंचने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।</p> <p>वाड न0-03 मे ईदगाह पर पहुंचने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।</p> <p>वाड न0-01 मे जमा मस्जिद पर जाने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का</p>	162.73	81.36	162.02	77.36	80.66	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रु0 80.66 लाख द्वितीय किशत में देय है।

निर्माण कार्य।
वार्ड न0-03 में महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति के पास पहुंचने हेतु सुगम रास्ते पर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।
वार्ड न0-11 में रामलीला मंच के सामने (धार्मिक स्थल) पर इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।
वार्ड न0-05 में सी.एच.सी. परिसर में जाने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।
वार्ड न0-04 में नाथ बाबा के पोखरा पर जाने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।
वार्ड न0-08 में भवानी माता मंदिर पर जाने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।
वार्ड न0-08 में डिह बाबा मंदिर पर जाने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।
वार्ड न0-08 में अमरधत्त मंदिर पर इण्टरलाकिंग का कार्य।
वार्ड न0-12 में काली माता मंदिर पर जाने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।
वार्ड न0-03 में महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति के पास पहुंचने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।

	वाड न0-02 मे प्रा० वि० छतवों पर जाने हेतु सुगम रास्ते पर इण्टरलार्किंग का निर्माण कार्य।						
कुल धनराशि (लाख मे)		723.71	361.84	723.61	330.09	360.762	

(रु. तीन करोड साठ लाख छिहत्तर हजार दो सौ मात्र)

- (1) उक्त निर्गत की जाने वाली धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (2) इस संबंध में शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023- कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से आकांक्षी नगर योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (5) प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- (6) धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (7) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जाये।
- (8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू०सी०) प्रेषित करने से पूर्व कार्यो का भौतिक सत्यापन अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं एक प्रशासनिक अधिकारी समिति से कराते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (13) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी का होगा।
- (14) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निकाय द्वारा नये एस०ओ०आर० के अनुसार आगणन का गठन कराते हुये उक्त आगणन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित (सी०एस०) कराया जायेगा।
- (16) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (17) संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
- (18) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (19) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज

कासमयान्तगत उपलब्ध कराया जायगा।

(20) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का (विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(21) इस सम्बन्ध में लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21, दिनांक 30 जून, 2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1124/नौ-9-2025-45ज/2021-ई-1749112 दिनांक

04 जून, 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

(25) इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1/1049830/2025, दिनांक 06.08.2025 में उल्लिखित शर्तों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 360.762 लाख (रु. तीन करोड़ साठ लाख छिहत्तर हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001200 आकांक्षी नगर योजना मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by

RAVINDRA SINGH

Date: 27-03-2026

16:49:20

(रविंद्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- /2026/ /003-ई-1858326, फिर दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित जिलाधिकारी।
8. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से)।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त। (आय-व्ययक) ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,